



2026: AHC : 42276

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2825/2026

गायत्री देवी एवं 12 अन्ययाचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : श्री प्रकाश उपाध्याय

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी. (मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री श्री प्रकाश उपाध्याय और राज्य-प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. विरोधी पक्षों के अधिवक्ताओं ने एक संयुक्त बयान दिया है कि वे कोई और शपथ पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं, अतः पक्षकारों की सहमति से रिट याचिका का निस्तारण नए चरण पर किया जा रहा है।
3. रिट याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि उन्होंने वर्ष 2008 में जारी विज्ञापन के क्रम में 'सफाई कर्मियों' के पद के लिए आवेदन किया था और उनका दावा है कि उनका चयन हो गया था। हालांकि, 01.07.2025 को जिलाधिकारी, भदोही ने जिला भदोही में सफाई कर्मियों की तैनाती के संबंध में प्रमुख सचिव, पंचायती राज को एक पत्र जारी किया था। निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने भी 25.08.2025 को क्षेत्रीय उप-निदेशक, पंचायती राज को जिला भदोही में सफाई कर्मियों की नियुक्ति के संबंध में बैठक हेतु पत्र भेजा है। रिट याचिकाकर्ताओं का यह भी मामला है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने 05.08.2025 को सफाई कर्मियों की नियुक्ति के संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 को एक पत्र भेजा है और निदेशक, पंचायती राज, लखनऊ ने 18.09.2025 को विभिन्न

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जिलों के जिला पंचायत राज अधिकारियों को एक आदेश/निर्देश पत्र जारी किया है। रिट याचिकाकर्ताओं के अनुसार, दिनांक 18.09.2025 का पत्र स्वयं में अवैध है, विशेष रूप से तब जब भदोही में विभिन्न पद रिक्त पड़े हैं, जिनके विरुद्ध रिट याचिकाकर्ताओं को कार्यभार दिया जा सकता है, लेकिन अब उक्त पदों को अन्य जिलों में समायोजित करने का प्रयास किया जा रहा है। रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि वह अपनी प्रार्थना को जिलाधिकारी के समक्ष 15.11.2025 को प्रस्तुत प्रत्यावेदन के निस्तारण तक सीमित रखते हैं।

4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि जो भी हो, रिट याचिकाकर्ता के लिए जिलाधिकारी, भदोही के पास जाने का विकल्प हमेशा खुला है।
5. विरोधी पक्षों की दलीलों और उनके द्वारा अपनाए गए रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका को निस्तारित किया जाता है और रिट याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 3 (जिलाधिकारी) के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति के साथ एक व्यापक प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी जाती है। प्रतिवादी संख्या 3 इसे प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार कड़ाई से याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेने की कार्यवाही करेंगे। यदि प्रतिवादी संख्या 3 की राय है कि मामले का निर्णय किसी अन्य अधिकारियों द्वारा किया जाना है, तो कागजात उन्हें प्रेषित कर दिए जाएंगे।
6. यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि रिट याचिका का निर्णय प्रतिवादीगण से कोई जवाब मांगे बिना किया गया है। अतः इस आदेश के पारित होने को इस रूप में न देखा जाए कि इस न्यायालय ने मामले के गुणों पर कोई विचार व्यक्त किया है।
7. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

25 फरवरी, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।